न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या-121/2022

राज्य

बनाम्

निरंजन यादव

–: आदेश :–

03/23	वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक 2305/अप0शा0 दिनांक 19.10.2022 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया। राज्य सरकार की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं अभिलेख का अवलोकन किया। यह वाद बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–80/2022 दिनांक–22.04.2022 से संबंधित है। कांड में जप्त ट्रैक्टर रजि0 संख्या–JH19A-2123 एवं ट्रॉली रजि0 नं0–JH03P-6565 को राजसात करने के लिए प्रस्ताव समर्पित किया गया। राज्य की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि यह काण्ड वादी पु0अ0नि0 कुबेर साव, बालूमाथ थाना, जिला–लातेहार के टंकित आवेदन के आधार पर बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–80/2022 दिनांक 22.04.2022 दर्ज किया गया। दिनांक 22.04.2022 को समय करीब 2:15 बजे पुलिस अधीक्षक, लातेहार को गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि रजबार ग्राम के टोला हरैयाखांड़ जंगल में हरैयाखांड़ से अवैध कोयला का उत्खन्न कर भण्डारण किया जा रहा है और उक्त अवैध कोयला को ट्रैक्टर/अन्य वाहनों के माध्यम से आस–पास के ईट्ट भट्ठा में बेचा जा रहा है। उक्त सूचना का थाना प्रभारी के द्वारा सन्हा संख्या–05/2022 दिनांक 22.04.2022 दर्ज किया गया एवं वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार थाना प्रभारी के द्वारा एक छापामारी दल का गठन किया गया। समय करीब 3:45 बजे जैसे ही सूचनास्थल हरैयाखांड़ जंगल पहुंचा तो गाड़ी की लाईट में देखा कि एक कोयला लदा ट्रैक्टर पर चार पांच आदमी बैठे हुए तब साथ गये सशस्त्र बल को सतर्क किया। जैसे ही आगे बढ़े उक्त लोग अपनी ओर गाड़ी के लाईट आता देख ट्रैक्टर को छोड़कर सभी लोग भागने लगे, भागते हुए व्यक्तियों में दो व्यक्तियों

को सशस्त्र बल की सहायता से पकड़ा गया एवं अन्य लोग घने जंगल व अंधेरा का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। पकड़े गये दोनों व्यक्तियों से पुछताछ एवं कागजातों की मांग की गयी। पुछताछ के क्रम में उनके द्वारा बताया गया कि यह अवैध कोयला हरैयाखांड़ से अवैध कोयला की खुदाई करके यहां हमलोग लाकर रखे थे जिसे लालदेव गंझू इट्ट भट्ठा पर बेचने के लिए ले जाने वाले थे। अनुसंधान के क्रम में काण्ड में जप्त ट्रैक्टर इंजन नं0–WLF307510006094EA, चेसीस नं0–GZQSC1985953 के मालिक का नाम पता का सत्यापन जिला परिवहन कार्यालय से कराया गया तो बताया गया तो ज्ञात हुआ कि उक्त ट्रैक्टर एवं ट्रॉली के मालिक निरंजन यादव, पिता–समेश्वर यादव, सा0–लेजांग, थाना–बालूमाथ, जिला–लातेहार है। अनुसंधान के दौरान अंचलाधिकारी, बालूमाथ से काण्ड के घटनास्थल का जांच कराया गया तो जांच प्रतिवेदन में ग्राम रजवार के खाता संख्या–137, प्लॉट संख्या–1265 कुल रकबा–74.75 एकड़ किस्म जंगल है, जो वन विभाग बिहार सरकार खाते की भूमि है। उक्त ट्रैक्टर रजि0 नं0–JH19A-2123 एवं ट्रॉली रजि0 नं0–JH03P-6565 के विरूद्ध राजसात की कार्रवाई प्रारम्भ करने हेतु अनुरोध किया गया।

विपक्षी को पक्ष रखने के लिए बार–बार नोटिस निर्गत कर तामिला कराया गया तथा निर्गत नोटिस को स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। जप्त ट्रैक्टर रजि0 संख्या–JH19A-2123 एवं ट्रॉली रजि0 नं0–JH03P-6565 के वाहन मालिक निरंजन यादव, पिता–समेश्वर यादव, सा0–लेजांग, थाना–बालूमाथ, जिला–लातेहार द्वारा नोटिस प्राप्त करने एवं समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित होने के बाद भी उपस्थित होकर पक्ष रखने में अभिरूची नहीं लिया गया। फलस्वरूप वाद को एकपक्षीय करते हुए राज्य की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वाद की सुनवाई की गयी।

"The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11(V) में उल्लेखित है कि "Any minerals, tool, equipment, vehicle or anything seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court."

उपरोक्त तथ्यों के समीक्षोपरांत यह स्पष्ट होता है कि काण्ड में जप्त ट्रैक्टर रजि0 संख्या–JH19A-2123 एवं ट्रॉली रजि0 नं0–JH03P-6565 के द्वारा कोयला का अवैध परिवहन किया गया है। अतः ट्रैक्टर रजि0

संख्या–JH19A-2123 एवं ट्रॉली रजि0 नं0–JH03P-6565 को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार 08 सप्ताह के अन्दर नियमानुसार वाहन की निलामी कर प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार राजसात वाहन का निलामी की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग करेंगे।

आदेश की प्रति थाना प्रभारी, बालूमाथ थाना, जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार, जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार, पुलिस अधीक्षक, लातेहार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार को भेजें।

अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

28/03/23

उपायुक्त,
लातेहार।

28/03/23

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2023.04.21 14:05:38 +05:30
Location: 10.93.47.5